भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1287
जिसका उत्तर मंगलवार 28 जुलाई, 2015 को दिया जाना है।

बंद सीपीएसई के कर्मचारियों को लाभ

1287. श्रीमती आर. वनरोजा:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पांच रूग्ण इकाइयों को बंद करने के लिए कार्रवाई की है और आगामी दो-तीन महीनों में प्रक्रिया को कार्यान्वित किए जाने की संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन इकाइयों को बंद करने की लागत लगभग 1400 करोड़ रुपए के आस-पास अनुमानित है और उनकी सम्पत्तियां 2200 करोड़ रुपए के लगभग है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन पीएसयू के कर्मचारियों को एच्छिक सेवानिवृत्ति की पेशकश की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और भावी वेतनमान तथा प्रदत्त वीआरएस पैकेज कितना है; और

(घ) क्या सरकार द्वारा दिए गए प्रस्ताव से कर्मचारी वीआरएस के लिए तैयार हो गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री

(श्री जी. एम. सिद्देश्वर)

(क) और (ख): जी, हां। सरकार ने केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के पांच उद्यमों नामतः हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड, तुंगभद्रा स्टील प्रॉडक्ट्स लिमिटेड, एचएमटी (वाचिज) लिमिटेड, एचएमटी (चिनार वाचिज) लिमिटेड और एचएमटी (बेयरिंग्स) लिमिटेड को बंद करने और लोक उद्यम विभाग के दिशा-निर्देशों में छूट देते हुए 2007 के नोशनल वेतनमान पर उनके कर्मचारियों को आकर्षक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम (वीआरएस) के प्रस्ताव पर कार्रवाई शुरू की है। चल परिसंपत्तियां जैसे संयंत्र तथा मशीनरी, फर्नीचर और जुड़नार, वाहन आदि की या तो नीलामी की जाएगी या केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के धारक/सहायक/संबद्ध उद्यमों या सरकार/सरकार के नियंत्रणाधीन निकायों को हस्तांतरित कर दी जाएगी। अचल परिसंपत्तियां जैसे भूमि और/ या भवनों को केन्द्र/राज्य सरकार या केवल केन्द्र/राज्य सरकार की इकाइयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को संबंधित उद्यम की पट्टे/स्वामित्व की शर्तों के आधार पर हस्तांतरित की जाएंगी।

******